FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्री किशनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह, ग्राम सांडिया, तहसील सोजत जिला पाली, राजस्थान		लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 119 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00 313
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/10/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 30/10/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1597-98 21.10.19
30/10/19	पी. ओ. सा. अवकाश में है। पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक —— 13/11/2019 —— को पेश हो।	
13/11/19	लोक सूचना अधिकारी (SDO) सोजत से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है पुनः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/11/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली पुनश्चः- लोक सूचना अधिकारी सोजत (उपखण्ड अधि०) से प्राप्त पत्र क्रमांक सू० अ०/2018/1065 दि० 13-11-19 के अनुसार अपीलार्थी श्री किशनसिंह को वांछित सूचना अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (SDO) सोजत के अनुसार वांछित सूचना जरिए पत्रांक सू० अ०/2019/983 दि० 20/9/19 के द्वारा अपीलांट को जरिए रजिस्टर्ड AD के उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली बाद फैसला की जाकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Chand Jain
Date: 2019.11.13 18:17:20 IST
Reason: SelfAttested